संख्या-557जेएल/22-3-2024-ई-1852662

प्रेषक,

विनोद कुमार द्विवेदी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 08-10-2024

विषयः- जिला कारागार, गाजियाबाद के 05 सिद्धदोष/विचाराधीन बंदियों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्र संख्या-30107/सामा-1(5)/72/बंदी स्था0/2024, दिनांक 04-10-2024 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल-2022 के प्रस्तर-118 सपठित प्रस्तर-385 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत जिला कारागार, गाजियाबाद में निरूद्ध निम्न तालिका में उल्लिखित सिद्धदोष/विचाराधीन बंदियों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में उल्लिखित कारागार में प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र0	बंदी का नाम/ पिता का नाम	वर्तमान निरूद्धि	कारागार का नाम जहां बंदी स्थानान्तरित किया जाना है
1	2	3	4
1-	सिद्धदोष/विचाराधीन बन्दी कर्मवीर उर्फ करमवीर श्री पुत्र रामपाल (बंदी संख्या-52/2020)	जिला कारागार गाजियाबाद	जिला कारागार, बस्ती
2-	विचाराधीन बन्दी जय कुमार उर्फ जैका पुत्र श्री इन्द्रपाल (बंदी संख्या-7147/2020)	जिला कारागार गाजियाबाद	जिला कारागार, संत कबीर नगर
3-	विचाराधीन बन्दी मुश्ताक पुत्र श्री हाजी जफर (बंदी संख्या-41/2018)	जिला कारागार गाजियाबाद	जिला कारागार, पीलीभीत
4-	विचाराधीन बन्दी अनुज रावत पुत्र श्री उदयवीर सिंह (बंदी संख्या-170/2023)	जिला कारागार गाजियाबाद	जिला कारागार, उरई
5-	विचाराधीन बन्दी मदन उर्फ बच्ची पुत्र श्री ओमप्रकाश बैसला उर्फ प्रकाश बैसला (बंदी संख्या-6328/2021)	जिला कारागार गाजियाबाद	जिला कारागार, फतेहपुर

2- कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
विनोद कुमार द्विवेदी
उप सचिव

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

2- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 राज्यमंत्री जी के सूचनार्थ।

3- अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, उ0प्र0, लखनऊ।

4- जिला मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद/बस्ती/संत कबीर नगर/पीलीभीत/जालौन/फतेहपुर।

5- पुलिस आयुक्त, गाजियाबाद।

6- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, बस्ती/संत कबीर नगर/पीलीभीत/जालौन/फतेहपुर।

7- वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद/बस्ती/संत कबीर नगर/पीलीभीत/उरई/फतेहपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत बंदियों के कॉलम-4 में उल्लिखित कारागार में स्थानांतरित/दाखिल किये जाने की सूचना रेडियोग्राम के माध्यम से शासन को उपलब्ध करायें।

8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
विनोद कुमार द्विवेदी
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in